

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2014/कार्तिक 22, 1936

No. 5861

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2014/KARTIKA 22, 1936

## भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

## अधिसूचना

मुंबई, 2 जुलाई, 2014

# विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवाँ संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 798(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातु:-

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवाँ संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।
- (ii) इनके संबंध में यह समझा जाएगा कि वे 17 अप्रैल 2014@ से लागू हुए हैं।

# 2. अनुसूची 1 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, संलग्नक 'बी' में,—

4500 GI/2014 (1)

ए) शीर्षक में, "कैप/ईक्विटी के %" शब्दों एवं अंकों को, "ईक्विटी/एफडीआई कैप" के %" शब्दों एवं अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

बी) मौजूदा पैरा 1.1 II के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

- II. 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिखित को कवर करती है:—
  - (i) पुष्प उत्पादन, बागवानी, सब्जियों और मशरूम की खेती वाली श्रेणियों के लिए 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत खेती' खेती करने का एक तरीका है और जिसमें वर्षा, तापमान, सूर्य विकिरण, वायु आर्द्रता और खेती की विधियों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षित खेती के जरिए इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस या किसी अन्य परिवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं—जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानवीय हस्तक्षेप से नियंत्रित किया जाता है।
  - (ii) पशु पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करते हैं:
    - (क) स्टाल-फीडिंग के साथ गहन खेती-बाड़ी प्रणालियों के तहत पशु-पालन। गहन खेती-बाड़ी प्रणालियों के तहत जलवायु प्रणालियां [हवा-रोशनी (वेंटिलेशन), तापमान/आर्द्रता प्रबंधन], स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, झुंड पंजीकरण/वंशावली रिकार्डिंग, मशीनों का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां अपेक्षित होंगी जैसाकि राष्ट्रीय पशु नीति 2013 में विनिर्दिष्ट किया गया है और जो मौजूदा "स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रैक्टिसेज़ ऐंड मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकाल" के अनुरूप हो।
    - (ख) मुर्गी प्रजनन केंद्र और हैचरी, जहां सूक्ष्म-जलवायु को इनक्यूबेटर, हवा-रोशनी (वेंटिलेशन) प्रणालियों आदि जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से नियंत्रित किया जाता है।
  - (iii) मछली पालन और जलीय कृषि के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है:
    - (क) मछलीघर (अक्वेरियम)
    - (ख) हैचरी, जहां अंडों को कृत्रिम रूप से निषेचित किया जाता है और मछली के छोटे-छोटे बच्चों को अंडों से बाहर निकाला जाता है और कृत्रिम जलवायु नियंत्रण के साथ एक समावृत्त (एनक्लोज़्ड) वातावरण में उन्हें सेया जाता है।
  - (iv) मधुमक्खी पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है:

    कम कामकाज़ के मौसमों के दौरान निर्धारित स्थानों पर, जंगल/वनों को छोड़कर, नियंत्रित तापमानों के

    साथ और जलवायु संबंधी घटकों जैसे आर्द्रता और कृत्रिम भोजन (फीडिंग) द्वारा मधुमक्खी पालन से शहद
    का उत्पादन।

#### सी) मौजूदा पैरा सं. 6.1 में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

नोट: (i) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों/एफआईआई (पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से) द्वारा निवेश की अनुमित नहीं है। (ii) रक्षा क्षेत्र के लाइसेंस वाली कंपनियों में 22 अगस्त 2013 को एफपीआई/ एफआईआई (पोर्टफालियो निवेश के माध्यम से) द्वारा जो धारिता थी वह उक्त तारीख को रही उच्चतम सीमा (cap) तक बनी रहेगी। उसके बाद भले ही उक्त उच्चतम सीमा से स्तर कम हो जाए, एफपीआई/ एफआईआई (पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से) द्वारा उसमें नए निवेश की अनुमित नहीं होगी।

डी) मौजूदा पैरा सं. 6.2 में, <u>खंड (xv) हटाया जाएगा</u> और क्रमश: खंड (xvi), (xvii), (xviii), (xix) और (xx) को पुनर्क्रमांक (xv), (xvi), (xviii), (xviii) और (xix) दिया जाएगा।

#### 6.2 **अन्य शर्तें:**

(xv) रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सरकारी अनुमित चाहने वाले सभी आवेदन पत्र आर्थिक कार्य विभाग में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) के सचिवालय को प्रस्तुत किये जाएंगे ।

- (xvi) 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले आवेदन पत्र मौजूदा प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, रु. 1200 करोड़ से अधिक के अंतर्वाह वाले प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट कमडटी द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। 26% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकारी अनुमित चाहने वाले आवेदन पत्रों की अतिरिक्त जांच सभी मामलों में रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा विशेष रूप से 'माडर्न और स्टेट आफ दि आर्ट' तकनीक की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी।
- (xvii) रक्षा उत्पादन विभाग और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, रक्षा उत्पादन विभाग उन मामलों में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी से अनुमोदन लेगा जिनके संभावित परिणाम के रूप में देश में 'मार्डन और स्टेट आफ दि आर्ट' तकनीक तक पहुंच होती है।
- (xviii) रु.1200 करोड़ से अधिक के अंतर्वाह वाले 26% से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रस्ताव जो सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी द्वारा अनुमोदित किये जाने हैं, उसके लिए फिर से आर्थिक कार्य विभाग की कैबिनेट कमेटी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
- (xix) रक्षा उद्योग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रयोजन से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों पर सरकार का निर्णय सामान्यत: पावती की तारीख से 10 सप्ताह की समय सीमा के भीतर संप्रेषित कर दिए जाएंगे।

# इ) मौजूदा पैरा सं. 7.5 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

7.5 उपुर्यक्त वर्णित गतिविधियों में संलग्न कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई) की सीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई), अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर), वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) द्वारा किए गए निवेश और विदेशी संस्थाओं द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के जरिए किए गए निवेश शामिल हैं।

## एफ) मौजूदा पैरा सं. 7.6 में खंड (iv), (vi), (xvi) और (xviii) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

- (iv) कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह नियुक्ति, संविदा और परामर्शदात्री या प्रतिष्ठापन, रख-रखाव, परिचालन या किसी अन्य सेवा के प्रयोजन से किसी अन्य क्षमता में कंपनी में एक वर्ष में 60 से अधिक दिनों के लिए अभिनियोजित होने वाले सभी विदेशी कर्मचारियों के अभिनियोजन से पहले उनके संबंध में सुरक्षा संबंधी अनुमोदन प्राप्त करे। यह सुरक्षा अनुमोदन प्रत्येक दो वर्ष में लेना अपेक्षित होगा।
- (vi) अनुमित धारक/लाइसेंसी से जुड़े किसी भी व्यक्ति या विदेशी कर्मचारी को किसी भी कारण से सुरक्षा अनुमोदन मना किए जाने या वापस लिए जाने पर, अनुमित धारक/लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार से ऐसा कोई निदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति त्याग-पत्र दे दे या उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाए, और ऐसा न किए जाने पर, दी गई अनुमित/लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा और भिवष्य में अगले पांच वर्ष तक की अविध के लिए कंपनी को ऐसी कोई अनुमित/लाइसेंस धारण किए जाने हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।
- (xiv) ये निरीक्षण सामान्यतया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तिसंगत नोटिस दिए जाने के बाद, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां ऐसा नोटिस देना निरीक्षण के वास्तविक उद्देश्य को खत्म करता हो, किए जाएंगे।
- (xviii)लाइसेंसदाता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसधारी कंपनी को किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में परिचालन से प्रतिबंधित कर सकता है। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास राष्ट्रीय सुरक्षा या जनता के हित में अनुमित धारक/लाइसेंसधारी की अनुमित को उसके निदेश में दी गई अवधि अथवा अवधियों के लिए निलंबित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में जारी किए गए किसी भी निदेश का अनुपालन कंपनी को तुरंत करना होगा, ऐसा न करने पर अनुमित को रद्द किया जा सकता है और कंपनी को आगे पांच साल की अवधि के लिए ऐसी अनुमित प्राप्त करने के लिए अनर्ह (अयोग्य) घोषित कर दिया जाएगा।

## जी) मौजूदा पैरा सं. 9.3.1(ग) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :

- 9.3.1 (ग) विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं को परिचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनकी चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने की अनुमित होगी। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:
  - (i) यह सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएगा।
  - (ii) 49 प्रतिशत की सीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों/एफपीआई के निवेश शामिल होंगे।
  - (iii) किए गए निवेश के लिए सेबी के सुसंगत विनियमों जैसे पूंजी को जारी करना और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं संबंधी (आईसीडीआर) विनियमों/शेयरों के पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण (एसएएसटी) संबंधी विनियमों के साथ-साथ अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
  - (iv) अनुसूचित ऑपरेटर परमिट केवल उस कंपनी को दिए जा सकते हैं:
  - क) जो पंजीकृत है और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में है;
  - ख) अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हों, और
  - ग) भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण हो।
  - (v) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित और गैर अनूसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के साथ जुड़े हुए सभी विदेशी नागरिकों को तैनाती के पहले सुरक्षा की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा।
  - (vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित सभी प्रकार के तकनीकी उपकरणों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संबंधित प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अपेक्षित होगा।
  - **टिप्पणी:** (i) उपर्युक्त पैरा 9.3(1) और 9.3(2) में वर्णित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा/प्रवेश मार्ग, उन स्थितियों में लागू हैं जहां विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया है।
  - (ii) उपर्युक्त पैरा 9.3.1(ग)(ii) में विनिर्दिष्ट निवेश प्रणाली के तहत अनिवासी भारतीयों द्वारा 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने से संबंधित छूट जारी रहेगी।
  - (iii) उपर्युक्त पैरा 9.3.1(ग) में वर्णित नीति मेसर्स एयर इंडिया लि. के संबंध में लागू नहीं है।

## एच) मौजूदा पैरा सं. 9.3.1(घ) को हटाया जाएगा।

आई) मौजूदा पैरा सं. 15 और 15.1 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

दूरसंचार सेवाएं	100 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक
(दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी I सहित)		स्वचालित मार्ग से
सभी टेलिकॉम सेवाएं जिनमें दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी I, अर्थात्		
मूलभूत, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस सेवाएं, युनिफाइड लाइसेंस (ऐक्सेस		49 प्रतिशत से अधिक
सेवाएं), युनिफाइड लाइसेंस, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दूरगामी, कमर्शियल वी-सैट,		सरकारी मार्ग से
पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल		
पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आइएसपी		
लाइसेंस, वॉइस मेल/आडीओटेक्स / युएमएस, आईपीएलसी की पुनः बिक्री,		
मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी I (डार्क फाइबर,		
राईट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टावर प्रदान करने वाले) सहित। इसमें अन्य सेवाएं		
प्रदाता शामिल नहीं है।		
	सभी टेलिकॉम सेवाएं जिनमें दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी I, अर्थात् मूलभूत, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस सेवाएं, युनिफाइड लाइसेंस (ऐक्सेस सेवाएं), युनिफाइड लाइसेंस, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दूरगामी, कमर्शियल वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आइएसपी लाइसेंस, वाँइस मेल/आडीओटेक्स / युएमएस, आईपीएलसी की पुनः बिक्री, मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी I (डार्क फाइबर, राईट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टावर प्रदान करने वाले) सिहत। इसमें अन्य सेवाएं	सभी टेलिकॉम सेवाएं जिनमें दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी I, अर्थात् मूलभूत, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस सेवाएं, युनिफाइड लाइसेंस (ऐक्सेस सेवाएं), युनिफाइड लाइसेंस, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दूरगामी, कमर्शियल वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आइएसपी लाइसेंस, वॉइस मेल/आडीओटेक्स / युएमएस, आईपीएलसी की पुनः बिक्री, मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी I (डार्क फाइबर, राईट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टावर प्रदान करने वाले) सहित। इसमें अन्य सेवाएं

#### 15.1.1 **अन्य शर्त** :

स्वचालित मार्ग से 49% तक और सरकारी अनुमोदन मार्ग से 49% से अधिक, कुल 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समय-समय पर टेलीकम्युनिकेशन विभाग द्वारा यथा अधिसूचित लाइसेंसिंग और सुरक्षा संबंधी शर्तों का लाइसेंस-धारी के साथ-साथ निवेशक द्वारा अनुपालन करने की शर्त के अधीन है, "अन्य सेवा प्रदाताओं" को छोड़कर जिनके लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमित है।

- जे) मौजूदा पैरा सं. 16.3 को हटाया जाएगा।
- के) मौजूदा पैरा सं. 16.4 और 16.4(3) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

16.4	सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार	100 प्रतिशत	49% तक स्वचालित मार्ग से।
			49% से अधिक सरकारी मार्ग से ।
	(3) भारत में 'सिंगल ब्रांड' उत्पादों के खुदरा व्य	गापार करने का प्रस्ताव करने वाल	ी कंपनी में 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी
	निवेश के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के आवेदन औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में एसआईए को		
	प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदनपत्र में उन उत्पाद/उत्पाद की श्रेणियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा जिनका 'सिंगल		
	ब्रांड' के अधीन विक्रय प्रस्तावित है। 'सिंगल ब्रां	ड' के अधीन विक्रय किए जानेवा	ले किसी उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी
	जोड़ने के लिए सरकार का नया अनुमोदन प्राप्त	। करना होगा। 49% तक प्रत्यक्ष	विदेशी निवेश के मामले में, खाद्य उत्पादों
	को छोड़कर, प्रस्तावित उत्पादों की सूची/उत्पाद	। श्रेणी भारतीय रिज़र्व बैंक को उप	ालब्ध करायी जाएगी ।

# एल) मौजूदा पैरा सं. 17.1 और 17.2 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

17.1	आस्ति पुनर्गठन कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो वित्तीय आस्तियों का	एआरसी की प्रदत्त	49% तक
	प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002	पूंजी का 100	 स्वचालित मार्ग से
	(सरफायसी एक्ट) की धारा 3 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत	प्रतिशत (FDI तथा	
	हो।	FII/FPI)	49% से अधिक
		,	सरकारी मार्ग से
17.2	अन्य शर्तें:		
	(i) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत आस्ति पुनर्गठन	। कंपनियों की पूंजी में 4	19% तक स्वचालित
	मार्ग से और उससे अधिक सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकते हैं।		
			_
	(ii) किसी भी प्रवर्तक को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मार्ग अथवा विदेशी संस्थागत	/एफपीआई मार्ग के द्व	ारा आस्ति पुनर्गठन
	कंपनी में 50% से अधिक की शेयर धारिता की अनुमति नहीं होगी।		
	   (iii) किसी एक एफआईआई/एफपीआई की शयेरधारिता आस्ति पुनर्गठन कंपनी	की कल प्रदत्त पंजी के	10 प्रतिशत से कम
	होनी चाहिए।	3 6	
	(iv) एफआईआई/एफपीआई भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत आस्ति पुनर्ग	ठन कंपनी द्वारा जारी	प्रतिभूति रसीदों में
	निवेश कर सकते हैं। एफआईआई/एफपीआई आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा जारी प्र	पतिभूति रसीद योजना	की प्रत्येक श्रृंखला में
	74% तक निवेश कर सकते हैं। समय-समय पर कार्पोरेट बांडों में एफआईआई.	/एफपीआई द्वारा निवेश	ा के लिए विनिर्दिष्ट
	   सीमा में ऐसे निवेश होने चाहिएं, और मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विनियमाव	लियों के तहत सेक्टोरल	कैप्स का भी पालन
	,		
	(v) सभी निवेश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्र	गितभूति हित प्रवर्तन	अधिनियम, 2002
	(सरफायसी एक्ट) की धारा 3(3)(एफ) के प्रावधानों के अधीन होंगे।		

**एम)** मौजूदा पैरा सं.18.2(4)(i),18.2(4)(i)(ए) और 18.2(4)(i)(ए)(डी), के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

### 18.2 **अन्य शर्तें:**

- (1) 74 प्रतिशत की इस सीमा में शामिल होंगे पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के तहत एफआईआई/एफपीआई, एनआरआई द्वारा किए गए निवेश और पूर्ववर्ती ओसीबी द्वारा 16 सितंबर 2003 से पहले अर्जित शेयर और इसमें आईपीओ, निजी तौर पर आबंटित शेयर, जीडीआर/एडीआर एवं मौजूदा शेयरधारकों से अर्जित शेयर शामिल रहेंगे।
- (4) एफआईआई/एफपीआई और एनआरआई द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत किए जाने वाले निवेश की अनुमत सीमा निम्नानुसार होगी:
- (i) एफआईआई/एफपीआई के मामले में, अब तक की भांति, किसी एक एफआईआई/ एफपीआई की धारिता (holding) कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से नीचे सीमित रहेगी और सभी एफआईआई/एफपीआई/ क्यूएफआई के लिए समग्र सीमा प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है जिसे संबंधित बैंक द्वारा कुल प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते उसके निदेशक मंडल ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो और उसके बाद उसकी आम सभा में भी इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित किया गया हो।
  - (ए) इस तरह से, एफआईआई/एफपीआई/क्यूएफआई द्वारा किए जाने वाले निवेश की सीमा कुल प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत के भीतर बनी रहेगी।
  - (डी) यथा लागू विनियम 14(5) के अनुसार, एफडीआई के अंतर्गत किसी निवासी से अनिवासी को शेयर अंतरित करने के लिए रिज़र्व बैंक और सरकार का अनुमोदन लेने की अपेक्षा बनी रहेगी।

**एन)** मौजूदा पैरा सं. 20.2 और 20.3(iii) के लिए, क्रमश: निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

20.2	पण्य बाजार	49% (एफडीआई और एफआईआई/ एफपीआई) [पंजीकृत	स्वचालित मार्ग
		एफआईआई/एफपीआई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना	
		(पीआईएस) के तहत निवेश की सीमा 23 प्रतिशत और	
		एफडीआई योजना के तहत निवेश की सीमा 26 प्रतिशत	
		तक सीमित होगी]	
00.0			
20.3	अन्य शर्ते:		
	(iii) पण्य-शेयर बाजारों में विदेशी	निवेश केंद्र सरकार/वायदा बाजार आयोग (FMC) द्वारा ज	ारी दिशा-निर्देशों के
	अंतर्गत किया जा सकेगा।		

बो) मौजूदा पैरा सं. 21.2(2) और 21.2(4)(ए) के लिए, क्रमश: निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात:

#### 21.2 **अन्य शर्ते**:

- (2) विदेशी निवेश की अनुमित है बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामी मंजूरी प्रदान की गई हो।
- (4) इस तरह के एफआईआई/एफपीआई निवेश की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते,—
  - (ए) किसी भी एक संस्था की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ईक्विटी धारिता 10 प्रतिशत से कम होनी चाहिए।
- **पी**) मौजूदा पैरा सं. 25.2 को हटाया जाएगा।
- क्य) मौजूदा पैरा सं. 25.3 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

# 25.3 **अन्य शर्तै**:

(i) विशेष परिस्थितियों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की अनुमित के अलावा 'अप्रतियोगी' उपबंध की अनुमित नहीं दी जाएगी।

- (ii) संभावी निवेशक और संभावी निवेश प्राप्तकर्ता से अपेक्षित है कि वे आवश्यक प्रमाणपत्र विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड संबंधी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें।
- (iii) ब्राउनफील्ड मामलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु अनुमोदन देते समय सरकार अनुमति पत्र में उचित शर्तें शामिल कर सकती है।

[सं. फेमा. 312 /2014-आरबी / फा. सं. / 24 / ईएम / 2014] बी.पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

# फुट नोट :

(i) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्वप्रभावी करने के कारण किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

(ii) मूल विनियमावली 8 मई 2000 के सा.का.िन. संख्या. 406(अ) के द्वारा शासकीय राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित और बाद में निम्नान्सार संशोधित की गयी थी:—

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001 सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001 सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001 सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002 सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002 सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003 सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003 सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003 सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004 सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004 सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004 सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004 सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005 सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005

सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006 सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007 सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008 सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008 सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009 सा.का.नि. सं. 341 (अ) दिनांक 21.04.2010 सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012 सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012 सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013 सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013 सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013 सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013

सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006

सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013	सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013	सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013	सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013	सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013	सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013	सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013	

#### RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd July, 2014

# Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Tenth Amendment) Regulations, 2014

**G.S.R. 798(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May, 2000), namely:—

## 1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Tenth Amendment) Regulations, 2014.
- (ii) They shall be deemed to have come into force from April 17, 2014 @.

#### 2. Amendment of Schedule 1—

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May, 2000), in Annex B,—

- a) in the heading, for the words and figures, "% of Cap/Equity", the words and figures, "% of Equity/FDI Cap" shall be substituted;
- **b**) for the existing entry 1.1. II, the following shall be substituted, namely:
  - II. The term 'under controlled conditions' covers the following:
    - (i) 'Cultivation under controlled conditions' for the categories of Floriculture, Horticulture, Cultivation of vegetables and Mushrooms is the practice of cultivation wherein rainfall, temperature, solar radiation, air humidity and culture medium are controlled artificially. Control in these parameters may be effected through protected cultivation under green houses, net houses, poly houses or any other improved infrastructure facilities where micro-climatic conditions are regulated anthropogenically.
    - (ii) In case of Animal Husbandry, scope of the term 'under controlled conditions' covers -
      - (a) Rearing of animals under intensive farming systems with stall-feeding. Intensive farming system will require climate systems (ventilation, temperature/humidity management), health care and nutrition, herd registering/pedigree recording, use of machinery, waste management systems as prescribed by the National Livestock Policy, 2013 and in

- conformity with the existing 'Standard Operating Practices and Minimum Standard Protocol."
- (b) Poultry breeding farms and hatcheries where micro-climate is controlled through advanced technologies like incubators, ventilation systems etc.
- (iii) In the case of pisciculture and aquaculture, scope of the term 'under controlled conditions' covers –
  - (a) Aquariums
  - (b) Hatcheries where eggs are artificially fertilized and fry are hatched and incubated in an enclosed environment with artificial climate control.
- (iv) In the case of apiculture, scope of the term "under controlled conditions" covers -

Production of honey by bee-keeping, except in forest/wild, in designated spaces with control of temperatures and climatic factors like humidity and artificial feeding during lean seasons

c) in the existing entry 6.1, the following shall be added:

- **Note** : (i) Investment by Foreign Portfolio Investors (FPIs)/ FIIs (through portfolio investment) is not permitted.
  - (ii) FPI/FII (through portfolio investment) in companies holding defence licence as on 22 August, 2013 will remain capped at the level existing as on the said date. No fresh FPI/FII (through portfolio investment) is permitted even if the level of such investment fall below the capped level subsequently.
- **d**) in the existing entry 6.2, <u>clause (xv) shall be deleted</u> and the clauses (xvi), (xvii), (xviii), (xix) and (xx) shall be renumbered as (xv), (xvi), (xvii), (xviii) and (xix) respectively.

#### 6.2 **Other conditions**:

- (xv) All applications seeking permission of the Government for FDI in defence would be made to the Secretariat of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) in the Department of Economic Affairs.
- (xvi) Applications for FDI up to 26% will follow the existing procedure with proposals involving inflows in excess of Rs. 1200 crore being approved by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA). Applications seeking permission of the Government for FDI beyond 26%, will in all cases be examined additionally by the Department of Defence Production (DoDP) from the point of view particularly of access to modern and 'state-of-art' technology.
- (xvii) Based on the recommendation of the DoDP and FIPB, approval of the Cabinet Committee on Security (CCS) will be sought by the DoDP in respect of cases which are likely to result in access to modern and 'state-of-art' technology in the country.
- (xviii) Proposals for FDI beyond 26% with proposed inflow in excess of Rs. 1200 crores, which are to be approved by CCS will not require further approval of the Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA).
- (xix) Government decision on applications to FIPB for FDI in defence industry sector will be normally communicated within a time frame of 10 weeks from the date of acknowledgement.
- e) for the existing entry 7.5, the following shall be substituted, namely:
- The foreign investment (FI) limit in companies engaged in the afore stated activities shall include, in addition to FDI, investment by Foreign Institutional Investors (FIIs), Foreign Portfolio Investors (FPIs), Qualified Foreign Investors (QFIs), Non-Resident Indians (NRIs), Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs), American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) and convertible preference shares held by foreign entities.

f) in the existing entry 7.6, for the clauses (iv), (vi), (xvi) and (xviii), the following shall be substituted, namely:

- (iv) The Company shall be required to obtain security clearance of all foreign personnel likely to be deployed for more than 60 days in a year by way of appointment, contract, and consultancy or in any other capacity for installation, maintenance, operation or any other services prior to their deployment. The security clearance shall be required to be obtained every two years.
- (vi) In the event of security clearance of any of the persons associated with the permission holder/licensee or foreign personnel being denied or withdrawn for any reasons whatsoever, the permission holder/licensee will ensure that the concerned person resigns or his services terminated forthwith after receiving such directives from the Government, failing which the permission/license granted shall be revoked and the

company shall be disqualified to hold any such Permission/license in future for a period of five years.

(xiv) The inspection will ordinarily be carried out by the Government of India, Ministry of Information & Broadcasting or its authorized representative after reasonable notice, except in circumstances where giving such a notice will defeat the very purpose of the inspection.

(xviii) It shall be open to the licensor to restrict the Licensee Company from operating in any sensitive area from the National Security angle. The Government of India, Ministry of Information and Broadcasting shall have the right to temporarily suspend the permission of the permission holder/Licensee in public interest or for national security for such period or periods as it may direct. The company shall immediately comply with any directives issued in this regard failing which the permission issued shall be revoked and the company disqualified to hold any such permission, in future, for a period of five years.

- g) for the existing entry 9.3.1(c), the following shall be substituted, namely:
- 9.3.1 (c) Foreign airlines are also, allowed to invest, in the capital of Indian companies, operating scheduled and non-scheduled air transport services, up to the limit of 49% of their paid-up capital. Such investment would be subject to the following conditions:
  - (i) It would be made under the Government approval route.
  - (ii) The 49% limit will subsume FDI and FII/FPI investment.
  - (iii) The investments so made would need to comply with the relevant regulations of SEBI, such as the Issue of Capital and Disclosure Requirements (ICDR) Regulations/ Substantial Acquisition of Shares and Takeovers (SAST) Regulations, as well as other applicable rules and regulations.
  - (iv) A Scheduled Operator's Permit can be granted only to a company:
    - a) that is registered and has its principal place of business within India;
    - b) the Chairman and at least two-thirds of the Directors of which are citizens of India; and
    - c) the substantial ownership and effective control of which is vested in Indian nationals.
  - (v) All foreign nationals likely to be associated with Indian scheduled and non-scheduled air transport services, as a result of such investment shall be cleared from security view point before deployment; and
  - (vi) All technical equipment that might be imported into India as a result of such investment shall require clearance from the relevant authority in the Ministry of Civil Aviation.
  - **Note**: (i) The FDI limits/entry routes, mentioned at paragraph 9.3(1) and 9.3(2) above, are applicable in the situation where there is no investment by foreign airlines.
    - (ii) The dispensation for NRIs regarding FDI up to 100% will also continue in respect of the investment regime specified at paragraph 9.3.1(c)(ii) above.
    - (iii) The policy mentioned at paragraph 9.3.1(c) above is not applicable to M/s Air India Limited
- **h**). the existing entry 9.3.1 (d) shall be deleted.
- i) for the existing entries 15 and 15.1, the following shall be substituted, namely:

15	Telecom services (including Telecom Infrastructure Providers Category-l)	100%	Automatic upto 49%
	All telecom services including Telecom Infrastructure Providers Category-I, viz. Basic, Cellular, United Access Services, Unified License (Access services), Unified License, National/ International Long Distance, Commercial V-Sat, Public Mobile Radio Trunked Services (PMRTS), Global Mobile Personal Communications Services (GMPCS), All types of ISP licenses, Voice Mail/Audiotex/UMS, Resale of IPLC, Mobile Number Portability services, Infrastructure Provider Category-I (providing dark fibre, right of way, duct space, tower) except Other Service Providers.		Government route beyond 49%
15.1.1	Other condition:		
	FDI up to 100% with 49% on the automatic route and be	eyond 49% on the governm	ent route subject to

observance of licensing and security conditions by licensee as well as investors as notified by the Department of Telecommunications (DoT) from time to time, expect "Other Service Providers", which are allowed 100% FDI on the automatic route.

j) the existing entry 16.3 shall be deleted.

k) for the existing entries 16.4 and 16.4(3), the following shall be substituted respectively, namely:

16.4	Single Brand product retail trading	100%	Automatic up to
			49%.
			Government
			route beyond
			49%
	(3) Applications seeking permission of the Government proposes to undertake single brand retail trading in India Assistance (SIA) in the Department of Industrial Policy & indicate the product/product categories which are proposed to the product/product categories to be sold under 'Single Government. In case of FDI upto 49%, the list of products food products would be provided to the RBI.	would be made to the Secre Promotion. The applications to be sold under a 'Single Be Brand' would require a free	stariat for Industrial s would specifically rand'. Any addition esh approval of the

l) for the existing entries 17.1 and 17.2, the following shall be substituted, namely:

17.1	'Asset Reconstruction Company' (ARC) means a company registered with the Reserve Bank of India under Section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act).	100% of paid-up capital of ARC (FDI + FII/FPI)	Automatic up to 49%  Government route beyond 49%
17.2	Other conditions:		
	(i) Persons resident outside India can invest in the capital registered with Reserve Bank, up to 49% on the automatic resident.		-
	(ii) No sponsor may hold more than 50% of the shareholdin it through an FII/FPI controlled by the single sponsor.	g in an ARC either by way o	f FDI or by routing
	(iii) The total shareholding of an individual FII/FPI shall be l	below 10% of the total paid-u	ıp capital.
	(iv) FIIs/FPIs can invest in the Security Receipts (SRs) is FIIs/FPIs can invest up to 74 per cent of each tranche of scl the FII/FPI limit on corporate bonds prescribed from time Regulations should also be complied with.	heme of SRs. Such investme	nt should be within
	(v) All investments would be subject to provisions of section Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2		d Reconstruction of

m) for the existing entries 18.2(4)(i), 18.2(4)(i)(a) and 18.2(4)(i)(a)(d), the following respectively substituted, namely:

18.2	Other conditions:	
	(1) This 74% limit will include investment under the Portfolio Investment Scheme (PIS) by FIIs/FPIs, NR and shares acquired prior to September 16, 2003 by erstwhile OCBs, and continue to include IPO Private placements, GDRs/ADRs and acquisition of shares from existing shareholders.	
	(4) The permissible limits under portfolio investment schemes through stock exchanges for FIIs/FPIs and NRIs will be as follows:	
	(i) In the case of FIIs/FPIs, as hitherto, individual FII/FPI holding is restricted to below 10 per cent of the total paid-up capital, aggregate limit for all FIIs/FPIs/QFIs cannot exceed 24 per cent of the total paid-up capital, which can be raised to 49 per cent of the total paid-up capital by the bank concerned through a resolution by its Board of Directors followed by a special resolution to that effect by its General Body.	
	(a) Thus, the FII/FPI/QFI investment limit will continue to be within 49 per cent of the total paid-up capital.	

(d) Transfer of shares under FDI from residents to non-residents will continue to require approval of RBI and Government as per Regulation 14(5) as applicable.

n) for the existing entries 20.2 and 20.3(iii), the following shall be substituted respectively, namely:

20.2	Commodity Exchange	49% (FDI & FII/FPI) [Investment by Registered FII /FPI under Portfolio Investment Scheme (PIS) will be limited to 23% and Investment under FDI Scheme limited to 26%]
20.3	Other conditions:	
	(iii) Foreign investment in commodity exchanges will be Government / Forward Markets Commission (FMC).	subject to the guidelines of the Central

o) for the existing entries 21.2(2) and 21.2(4)(a), the following shall be substituted respectively, namely:

21.2	Other Conditions:	
	(2) Foreign investment is permitted subject to regulatory clearance from RBI.	
	(4) Such FII/FPI investment would be permitted subject to the conditions that:	
	(a) A single entity should directly or indirectly hold below 10% equity.	

- **p**). the note under existing entry 25.2 shall be deleted
- $\mathbf{q}$ ). for the existing entry 25.3, the following shall be substituted, namely:

25.3	Other Conditions
	(i) 'Non-compete' clause would not be allowed except in special circumstances with the approval of the Foreign Investment Promotion Board.
	(ii) The prospective investor and the prospective investee are required to provide necessary certificate along with the FIPB application.
	(iii) Government may incorporate appropriate conditions for FDI in brownfield cases, at the time of granting approval.

[No. FEMA. 312 /2014-RB/F. No./24/EM/2014]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

#### Foot Note:-

- (i) @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these Regulations.
- (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R. No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R. No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R. No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R. No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005
G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005

G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005 G.S.R. No. 29(E) dated 19.01.2006 G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006 G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007 G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007 G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007 G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008 G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008 G.S.R. No. 851(E) dated 01.12.2009 G.S.R. No. 341 (E) dated 21.04.2010 G.S.R. No. 821 (E) dated 10.11.2012 G.S.R. No. 606(E) dated 03.08.2012 G.S.R. No. 795(E) dated 30.10.2012 G.S.R. No. 796(E) dated 30.10.2012 G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012 G.S.R. No. 945 (E) dated 31.12.2012 G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012 G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013 G.S.R. No. 515(E) dated 30.07.2013 G.S.R. No. 532(E) dated 05.08.2013

G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013 G.S.R. No. 344(E) dated 29.05.2013 G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013 G.S.R. No. 393(E) dated 21.06.2013 G.S.R. No. 591(E) dated 04.09.2013 G.S.R. No. 596(E) dated 06.09.2013 G.S.R. No. 597(E) dated 06.09.2013 G.S.R. No. 681(E) dated 11.10.2013 G.S.R. No. 682(E) dated 11.10.2013 G.S.R. No. 818(E) dated 31.12.2013 G.S.R. No. 805(E) dated 30.12.2013 G.S.R. No. 683(E) dated 11.10.2013 G.S.R. No. 189(E) dated 19.03.2014 G.S.R. No. 190(E) dated 19.03.2014 G.S.R. No. 270(E) dated 07.04.2014 G.S.R. No. 361 (E) dated 27.05.2014 G.S.R. No. 370(E) dated 30.05.2014 G.S.R. No. 371(E) dated 30.05.2014 G.S.R. No. 400 (E) dated 12.06.2014